17.10.19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन भाराजी अपीलांट की पुश्तैनी भूमि खेत खसरा संख्या 11 रकबा 976 बीघा 10 बिस्वा में से 75.00 बीघा भूमि मौजा नेडान पटवार हल्का नेडान तहसील पोकरण में आयी हुई उक्त अपीलाधीन भाराजी वादी/अपीलांट के पिता सुजार को दिनांक 25/06/1968 को आवंटन हुई थी पटवारी हल्का के द्वारा आवंटन बाद कब्जा दिया गया। अपीलाधीन भाराजी पर अपीलांट/वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद दिनांक 24/3/12 से प्रतिवादी के जवाब दावा हेतु वाद लंबित रहा, दिनांक 26/05/2017 तक जवाब प्रस्तुत करने हेतु नियत था लेकिन प्रतिवादी	Sd/- 17.10.19 Sd/-

Sd/-

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर
P.T. कैम्प जैसलमेर

रा.मु.जो.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/10/19	द्वारा जवाब द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत ग्राम नेड़ान में वाद विधि विरुद्ध जाकर निर्णित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भूमि को नियमन कमेटी के समक्ष रखकर पुनः आवंटन करने का आदेश दिया जो किसी भी सूरत में न्यायिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्यायसिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे।
	अधिवक्ता अपीलार्थी ने मियाद अधिनियम प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय से दिनांक 21/02/2018 को निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जो दिनांक 23/2/18 को प्राप्त होने की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है पत्रावली अन्दर मियाद अनुसार की जावे।
	राजकीय अभिभाषक ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर अपीलार्थी को कोई अधिकार नहीं है अतिक्रमी की हैसियत से खातेदारी देना न्यायोचित नहीं है। वादी / अपीलार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर
कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	कार्यवाही जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/10/19	ने अपीलार्थीगण आराजी के (कब्जा) कायम रखने की किसी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं किये हैं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे। राजकीय अभिभाषक ने धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील मियाद बाहर है। अपील मियाद बाहर पेश करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है अतः अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे। सर्वप्रथम धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना-पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपील का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णय पारित करना न्यायोचित है। लिहाजा अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद कबूल की जाती है।	

सहायक अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म की तामील हुक्म में जारी
17/10/19	अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट मेड़ता में दिनांक 26/05/2017 को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विपरीत जाकर पारित किया गया। अपीलांट का वाद आवंटन की प्रक्रिया 1968 में सम्पूर्ण की गई तथा अपीलाधीन आराजी का वादी के पक्ष में किया गया आवंटन आज भी प्रभावी है। पत्रावली पर प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वादी/अपीलांट को किया गया आवंटन निरस्त किया गया हो। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी के प्रकरण संख्या 98/2012 में पारित आदेश दिनांक 26/05/2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए मौका/सबूत लेकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें। आदेश खुले इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 17/10/19 राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर कैम्प जैसलमेर	

Scanned by CamScanner